The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

% 313]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 29, 2009/ज्येष्ठ 8, 1931

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 2009/JYAISTHA 8, 1931

वित्त मंत्रालय (राजस्य विभाग) अधिसुचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2009

सा.का.नि. 368(अ).—राष्ट्रपति, सॉवधान के अनुष्टोद 309 के पतनुक द्वारा प्रयत्त शक्तिवाँ का प्रयोग करते हुए, कित नंप्रालय के अधीन राजस्य विभाग में केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरों के विशेष सचिव-सह-महानिदेशक के पद पर मती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्मालाखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूगे (विधाप सचिव-सह-महानिदेशक) पत्ती नियम, 2009 है ।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद संख्या, वर्गीकरण और बेतनमान,—उका पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका बेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपायद अनुसुधी के स्तान्य 2 से स्तान्य 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
 - (2) ये पद केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी संगठित सेवा के काडर का भाग नहीं होंगे ।
- मतीं की पद्धति, आयु-सीमा, अईताएं आदि,—उक्त पद पर मतीं की पद्धति, आयु-सीमा, अईताएं और उनसे संबंधित अन्य वातें वे होंगों जो प्योंक्त अनुसूची के स्तम्म (5) से स्तम्म (14) में विनिर्दिष्ट हैं।
 - 4. निरहंता,—वड व्यक्ति,—
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उप्ता पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परना यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पश्चकार को लागू स्वीप विधि के अधीन अनुदोय हैं और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेंगी।

- शिक्षिल करने की शिक्षत,—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखकड़ करके, इन नियमों के किसी उपर्थंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिक्षल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति,—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाल गए आदेशों के अनुसार अनुसृचित जातियों, अनुसृचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

	To the second		13.5				
जिए आयु		ल मेन्या के माना अपन्य मार्ग भी भी कोई हम, ऐसे अपन्य है भू मिराले गए मार्ग्यों है	and			TOTAL SELECTION OF	of Lemma of Lemma of Lemma
तीं मही किए जाने वाले व्यक्तियों के मिन		n and the state of the big the state and the state of the principal of the state of	मीद			a Kopera () s	as an say
वाक	7	and the second of the second and the second of the second cancers.	की अवधि,	10	פונון	किया जाएग	
18 P	ाई होता ।	sure (v) q line (14) and que age	कोई हो ।	4	त्। व महान्या	त /आमेलन	
19	लागू नहीं		ाले व्यक्तियों और तीक्षेक की दशा में			मादानवाय /	
त्र त्यो य सिविक स् म, 1972 अधीन अनुद्रेय	8		10 图 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	6		化二十二次 医二克	
रोवा में जोड़े गए तथे का कायदा केन्द्रीय सिविहर सेवा (पेशा) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुझेय है या नहीं	लानू नहीं होता		तीव भरी किए जा के लिए दिहिट अ अईताएं प्रोन्तत व्यवि लागु होंगी या नहीं।	C 20	जानु महा होता ।	में दें श्रीपाया	
ददन पर्य अच्चयन पर्व	लागू नहीं होता ।		अर्हताएं		1	भेती की दशा	
FIRE	4 80000 /~판 (Para)	VEW DECHT END A	शैनिक और अन्य अर्हताए	OLV SA		/ आमेलन हार	
दं । सम्दर्भ	3 साधारण 80 केन्द्रीय सेवा (नि	विवीय	लेए अपेक्षित	8		प्रोन्ताते /प्रोतीनेपुष्टि / आमेलन द्वारा भती की दशा से वे श्रीपया चिनसे प्रोन्ताते प्रातीनपुष्टि /आमेलन किया जाएगा	
पुर्वे को वि	2 01 * HI	स्वभार स पर जा	ने वाले व्यक्तियं के		100		
(5) (6) (7)	ी विशेष सचिव- (सह-महासिदेशक		सीधे गर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के	The state of the s	वानी नहां होता	भती को पद्धति : अती सोध होगी या मोन्नति द्वार्थ या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाती रिक्तियों की	

- SEPTEMBER - SEPT

प्रतिनियुक्ति समतुल्य के देतनमान) य प्रशासनिक रूक (22400	Idea
	lifeti
समदुत्य वेतनमान प्रशासिन रूठ (22	the state of the s
TRINH TR	समयुल्य अर्थ था उटका प्रशासीनक अर्थ + 75500-80000 /- रूपए (24050-650-28000 /- रूप के पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान) के वेतनमान में निवमित आधार पर नियुक्त केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जिन्होंने समयक्य / श्रेणी सन्म
	प्रशासनिक ग्रेड + 75500-80000/- रुपए (24050-650-26000 /- रु0 के पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान) और 12000 /- रु0 (22400-525-24500 /- रु0 का पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान) के ग्रेड वेतन वाले 37400-67000 /- रु0 के वेतन बैंड 4 में कम से कम दो वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा की है ;
	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O
12000 वेतन कैं	12000 /- रू७ (22400-525-24500 /- रू० के पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान) के ग्रेड वेतन वाले 37400-67000 रू७ के वेतन वैंड, 4 में नियमित आधार पर नियुक्त केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जिहोंने उस श्रेणी में कम से कम 2 वर्ष की नियमित सेवी की है ;
Paris A	और जिनके पास निम्मोलिखित आवश्यक अर्थताएँ हैं :-
	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क की क्षेत्र विरचनामें कम से कम दस वर्ष के + अनुभव के साथ केन्द्रीय सरकार में अप्रत्यक्ष कर प्रमासन को प्रशासित करने तथा उसे वलाने का कम से कम बीस वर्ष का अनुभव रखता हो ; उच्च वृतिक गुणागुण और उत्कृष्टता स्खता हो ; सत्यिनिष्ठा की तुटिहीन ख्याति स्खता हो ;
हिम्मण की अर्थ	टिप्पण 1 :- ऐसी सिक्ति के संबंध में, जिसके लिए चयन किया जाता है, नियुक्ति की संभाव्य तारीख को दो वर्ष से कम की अवशिष्ट सेवा वाला व्यक्ति वयम के लिए विचार किए जाने का पात्र होगा ।

ान्युकत स ठोक पहले धारेत किसी अन्य काहर नहीं होगी ।	ानयुष्का स ठीक पहले धारेत किसी अन्य काढर बाह्य पद पर प्रतिनियुष्कित की अवधि है साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी ।
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	मती करने में किन परिस्थातियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामशे किया जाएगा ।
13	14
लागू नहीं होता तथागि, निम्निलिखित संरचना वाली चयन समिति केन्द्रीय सरकार द्वारा इस पद पर नियुक्त किए जाने वाले पात्र अधिकारियों का चयन करेगी : (i), मंत्रिमंडल सचिव - अध्यक्ष (ii) गृह सचिव — सदस्य (iii) गृह सचिव (कार्मिक), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग - सदस्य (v) सचिव (कार्मिक), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग - सदस्य	लंघ लोक सेवा आयोग से परामर्थ करना आवश्यक नहीं है ।
टिप्पण : पद के सर्वाय में कार्य की अपेक्षा को ध्यान में स्खते हुए चरान समिति	

[फा. सं. 50/15/2008-प्रशा. [] वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May, 2009

G.S.R. 368(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Special Secretary-cum-Director General of the Central Economic Intelligence Bureau in the Department of Revenue under the Ministry of Finance, namely:-

- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Central Economic Intelligence Bureau (Special Secretary-cum-Director General) Recruitment Rules, 2009.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of posts, classification and scale of pay. (1) The number of the said posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
 - (2) These posts shall not form part of the cadre of any organized Service under the Central Government.
- 3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.
- 4. Disqualification. No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that if the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax. Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving. Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

5.1a FAS

Constitute Inch

all booken's

SCHEDULE

Married of the name	1	The same of the sa			O ST
value of the post	of posts	Classification	Scale of pay	Selection- or non- Selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension)
(1)	(6)	107			Rules 1979
18 2 2 B	-	(6)	(4)	(5)	(9)
Special Secretary-cum- Director General	(2009)	General Central Service, Group A', Gazetted, Non-Ministerial	ls. 80,000/- (fixed)	Not applicable Not applicable	Not applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of posts to be filled in by various methods.	(11)	Deputation
Period of probation, if any	(01)	Not applicable
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	(6)	Not applicable
Educational and other qualifications required for direct recruits	(8)	Not applicable
Age limit for direct recruits		Not applicable

[भाग []—खण्ड	3(i)	. भारत का राजपत्र : असाधारण
Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making	recruitment	Consultation with Union Public Service Commission not necessary
what is its composition?	(13)	Not applicable; However, a Selection Committee with the following composition shall make selection of eligible officers to be appointed to this post-by the Central Government: (ii) Cabinet Secretary (iii) Principal Secretary (iv) Recretary Personnel Department of Personnel and Training (v) Secretary, Department of Revenue Note: The Selection Committee may devise ways to assess candidates keeping in view the job requirement for the post.
absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	(12)	Officers of the Central Government appointed on a regular basis in the equivalent grade or in the HAG + scale of Rs.75,500 - 80,000/- (pre-revised scale of Rs.75,500 - 80,000/- (pre-revised scale of Rs.75,500 - 80,000/- (pre-revised scale of Rs.24,050-650-26,000 land PB 4 of Rs.37,400-67,000/- with Grade pay of Rs.12,000/- (pre-revised scale of Rs.22,400-525-24,500); cr Officers of the Central Government appointed on a regular basis in the PB 4 of Rs 37,400-67,000/- with the Grade Pay of Rs.12,000/- (pre-revised scale of Rs. 22,400-525-24,500/-) with the Grade Pay of Rs.12,000/- (pre-revised scale of Rs. 22,400-525-24,500/-) with at least 2 years of regular service in the grade; and diministering and running the indirect tax administering and running the indirect tax administration in the Central Government with at least ten years experience in the field formations of Central Board of Excise and customs; (ii) having high professional merit and excellence; and